न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)
राष्ट्रीय लोक अदालत 2017 , केम्प सुमेरपुर
पीठासीन अधिकारी:– श्री महीपाल भारद्वाज, R.A.S.

राजस्व विविध सं. 46 / 2016
दायरा तिथि 15.07.2016
आदेश तिथि 11.02.2017

प्रार्थी

1. रमेश कुमार पुत्र पदाजी जाति – मीणा निवासी बलाना तह. सुमेरपुर, जिला–पाली

बनाम :

अप्रार्थीगण

1. सवियां उर्फ सवाराम पुत्र रूगाजी
2. स्व. टीमाराम पुत्र रूगाजी के का.मु. सदाराम
3. उमाराम पुत्र तेजाराम
4. पुराराम पुत्र तेजाराम
5. अंशीदेवी पत्नी तेजाराम
6. भूराराम पुत्र नवीयाजी तमाम जातिगण मीणा निवासीगण बलाना तहसील सुमेरपुर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) , सुमेरपुर

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(A) RTAct,1955</u>

उपस्थित:–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मत धनेरा व राकेश अरोडा उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता गणपतसिंह देवडा व सरकारी पेरोकार तहसीलदार (भूमिधारी), उपस्थित।

–: आदेश :–

आदेश तिथि 11.02.2017

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि उपरोक्त अनवान की पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प सुमेरपुर दिनांक 11.02.2017 कोर्ट सुमेरपुर में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) आर.टी.एक्ट 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा बलाना तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नं 490, 491 कुल रकबा 4.22 हेक्टर किस्म जवाई नहरी प्रथम भूमि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी व संयुक्त खातेदारों के नाम दर्ज है। जिसमें कृषि कार्य व देखभाल करने हेतु ग्राम बलाना के खसरा नं 487, 489 कुल रकबा 5.76 हैक्टर किस्म जवाई नहरी जो कि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है मे सें प्रार्थी अपनी खातेदारी 490, 491 में आता जाता है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि में जाने हेतु कोई अन्य रेकर्डडेड रास्ता उपलब्ध नही है तथा उपरोक्त खसरा संख्या 487, 489 में सें ही निकटतम रास्ता बनता है। खसरा नं. 487 मे सें लम्बाई में 120 मीटर व चौड़ाई में 8 मीटर कुल 960 वर्ग मीटर व खसरा नं. 489 में सें लम्बाई में 180 मीटर व चौडाई में 08 मीटर कुल 1440 वर्ग मीटर , दोनो खसरा मिलाकर 2400 वर्ग मीटर अर्थात 0.24 हेक्टर प्रस्तावित रास्ता भूमि जो नजरी नक्शा में बरंग–लाल से दर्शित है व मौके पर कदीमी से उपयोग व उपभोग में आ रहा है, को कतिपय प्रावधानों के तहत सुखाधिकार हेतु गै.मु.रास्ता घोषित करावे।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

लगातार पेज–2

Scanned by CamScanner

(2) कि तहसीलदार सुमेरपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट में जाहिर किया है कि सरहद मौजा बलाना तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नं 490, 491 कुल रकबा 4.22 हेक्टर किस्म जवाई नहरी प्रथम भूमि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी रमेश कुमार व अन्य खातेदारों के नाम संयुक्त खातेदारी दर्ज है, प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि में कृषि कार्य व देखभाल करने हेतु आने–जाने के लिए प्रस्ताावित रास्ता भूमि के अलावा अन्य कोई मौके पर रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते को संलग्न नक्शा–ट्रेस में बरंग–लाल से दर्शाया है । उपरोक्त रास्ता प्रार्थी की खातेदारी से लगाय अप्रार्थीगण से लगता गै.मु. रास्ता ख. नं. 487, 489 तक मौके पर स्थित है जो अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। खसरा नं. 487 मे सें लम्बाई में 120 मीटर व चौडाई में 8 मीटर कुल 960 वर्ग मीटर व खसरा नं. 489 में सें लम्बाई में 180 मीटर व चौडाई में 08 मीटर कुल 1440 वर्ग मीटर , दोनो खसरों में सें रास्ता का रकबा मिलाकर 2400 वर्ग मीटर अर्थात 0.24 हेक्टर हेक्टर बनते है। इसके अलावा तहसीलदार सुमेरपुर ने कथित रिपोर्ट में यह भी व्यक्त किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई प्रस्तावित रास्ता भूमि जिसकी किस्म जवाई नहरी है जो प्रतिबंधित नहीं होने से उपयुक्त है इसके अलावा प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि पर आने–जाने का अन्य कोई विकल्प नहीं है।

(3) कि फलस्वरूप उल्लेखित विश्लेषण, विवेचन तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य–दस्तावेज क्रमशः जमाबंदिया संवत् 2068–2071 नक्शा–ट्रेस, नजरी नक्शा इत्यादि तथा तहसीलदार सुमेरपुर की तथाकथित जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के कथित प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि होती है और जिसके फलतः हमारे विधिक मतानुसार प्रार्थी का कथित प्रार्थना पत्र स्वीकार करके प्रार्थी को उल्लेखित अपनी खातेदारी भूमि पर कृषि कार्य व देखभाल करने हेतु आने–जाने व सुखाधिकार के लिए कतिपय प्रावधानों के तहत प्रस्तावित रास्ता भूमि को सार्वजनिक रूप से गै.मु.रास्ता भूमि घोषित करना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण व विवेचन तथ्यों के परिणामतः एवं राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रार्थी का कथित प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के स्वीकारं किया जाकर सरहद मौजा बलाना के खसरा नं 490, 491 कुल रकबा 4.22 हेक्टर किस्म जवाई नहरी प्रथम भूमि में कृषि कार्य, देखभाल व आने–जाने के लिए कतिपय प्रावधानों के तहत सुखाधिकार हेतु ग्राम बलाना में स्थित ख. नं. 487 मे सें लम्बाई में 120 मीटर व चौडाई में 8 मीटर कुल 960 वर्ग मीटर व खसरा नं. 489 में सें लम्बाई में 180 मीटर व चौडाई में 08 मीटर कुल 1440 वर्ग मीटर , दोनो खसरों का रकबा मिलाकर 2400 वर्ग मीटर अर्थात 0. 24 हेक्टर जो नजरी नक्शा में बरंग–लाल से दर्शित है व नक्शा–ट्रेस में बरंग–लाल से दर्शित प्रस्तावित रास्ता भूमि को इस शर्त पर सार्वजनिक उपयोग हेतु गै.मु. रास्ता घोषित किया जाता है कि उपरोक्त घोषित रास्ता भूमि के क्षेत्रफल अनुसार वर्तमान प्रचलित बाजार दर /DLC के आधारित तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा मूल्यांकन करके देय राशि की दो–गुणा राशि प्रार्थी द्वारा नियमानुसार राजकीय कोष में जमा करावे, तदुपरान्त तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर व पटवारी हल्का बलाना माफिक आदेश में घोषित रास्ता भूमि को सार्वजनिक उपयोग हेतु गै.मु.रास्ता राजस्व रेकर्ड मेंअमल दरामद करें व नक्शें में तरमीम करे। नजरी नक्शा इस आदेश का अभिन्न भाग माना जायेगा।

आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प सुमेरपुर में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
सुमेरपुर(पाली)

Scanned by CamScanner